महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

ज्ञान शांति मैत्री

क़ादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

खे.वि./अं.विद्या.खे.प्रति.2023/16 /1210
दिनांक : 25/02/26

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय में क्रीड़ा संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एवं छात्रों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अंतर विद्यापीठ खेल प्रतियोगिता – 2026 (Intramural Sports Meet - 2026) का आयोजन शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा समिति द्वारा दिनांक 09 मार्च से 14 मार्च, 2026 तक (प्रात: 08 बजे से) किया जा रहा है। अंतर विद्यापीठ खेल प्रतियोगिता के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार नियमावली प्रस्तुत है –

<table>
<tr><th colspan="2">अंतर विद्यापीठ खेल प्रतियोगिता</th></tr>
<tr><th colspan="2">नियमावली</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली समस्त टीमें अपनी सूची विभागाध्यक्ष/निदेशक के माध्यम से अधिष्ठाता द्वारा अग्रेषित करवाकर ही जमा करें तथा प्रत्येक टीम के साथ संबंधित विभाग/केंद्र के प्रशिक्षक/पालक के रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करें।
2. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली समस्त टीम के पास विश्वविद्यालय का पहचान पत्र (I-Card) एवं स्पोर्टस किट (पोशाक) होना आवश्यक है, जिसकी व्यवस्था खिलाड़ी को स्वयं करनी होगी।
3. प्रतियोगिता में नियमोंका उल्लंघन करने वाले टीम/खिलाड़ी को प्रतियोगिता से बाहर (Debar) किया जा सकता है।
4. प्रतियोगिता में समय की पाबंदी अनिवार्य है। टीम/खिलाड़ी को निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व खेल मैदान पर पहुंचना अनिवार्य है। समय पर न पहुंचने पर उन्हें खेलने से वंचित किया जा सकता है। इस संबंध में टीम के कप्तान का विशेष उत्तरदायित्व होंगे।
5. समस्त खिलाडियों हेतु खेल मैदान पर तथा उसके बाहर समस्त प्रतियोगितायों के दौरान पूर्ण अनुशासित रहना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन संबंधित समस्त विवाद प्रतिवाद खेल समिति द्वारा निपटाए जाएंगे। Referee/Umpire का निर्णय अंतिम रहेगा।</td></tr>
<tr><td>बैडमिंटन प्रतियोगिता</td><td>1. प्रति श्रेणी से अधिकतम 02 खिलाड़ी/टीमभाग ले सकते हैं।
2. खेल किट (स्पोर्ट्स वियर और नॉन-मार्किंग शूज़) पहनना अनिवार्य होगा।
3. यदि मैच टाई रहता है, तो निर्णय राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
4. सभी नियम एवं विनियम राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के अनुसार सख्ती से लागू होंगे।
5. मैच प्रारूप:
• प्रारंभिक राउंड बेस्ट ऑफ 3 गेम्स (11पॉइंट्स प्रत्येक) के आधार पर खेले जाएंगे।
• सेमीफाइनल एवं फाइनल बेस्ट ऑफ 3 गेम्स (21पॉइंट्स प्रत्येक) के आधार पर खेले जाएंगे।
6. रोटेशन (सर्विस एवं कोर्ट चेंज) के नियम राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के अनुसार लागू होंगे।</td></tr>
<tr><td>रस्साकशी प्रतियोगिता</td><td>1. प्रत्येक टीम में अधिकतम 12 खिलाड़ी।
2. खेल किट पहनना अनिवार्य।
3. मैच टाई रहने पर निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम।
4. राष्ट्रीय रस्साकशी नियम सख्ती से लागू होंगे।</td></tr>
<tr><td>बास्केटबॉल प्रतियोगिता</td><td>1. प्रत्येक टीम में अधिकतम 12 खिलाड़ीएवं न्यूनतम 08 खिलाड़ी होने आवश्यक हैं।
2. यदि मैचटाईरहता है, तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
3. खेल किटपहनना अनिवार्य होगा।
4. मैच संबंधी अन्य सभी नियमराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघके अनुसार सख्ती से लागू होंगे।
5. मैच अवधि : क्वार्टर फाइनल तक : प्रत्येक क्वार्टर की समय अवधि 5 मिनट (रनिंग टाइम) होगी। सेमीफाइनल एवं फाइनल : प्रत्येक क्वार्टर की समय अवधि 10 मिनट होगी।
6. नोट : सभी टीमों को उपरोक्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।</td></tr>
</table>

क़ादर नवाज़
25/02/26

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

वॉलीबॉल प्रतियोगिता	1. प्रत्येक टीम में अधिकतम**12 खिलाड़ी** एवं न्यूनतम**06 खिलाड़ी** होने आवश्यक हैं। 2. **खेल किट** पहनना अनिवार्य होगा। 3. यदि मैच **टाई** रहता है, तो निर्णय **राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ** के नियमों के अनुसार किया जाएगा। 4. सभी नियम एवं विनियम **राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ** के अनुसार सख्ती से लागू होंगे। • **मैच प्रारूप :** प्रारंभिक राउंड **बेस्ट ऑफ 3 सेट्स** के आधार पर खेले जाएंगे। सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच **बेस्ट ऑफ 5 सेट्स** के आधार पर खेले जाएंगे। 5. **सभी श्रेणियों में रोटेशन अनिवार्य होगा।**
एथलेटिक्स प्रतियोगिता	1. विद्यार्थी/प्रतिभागी अधिकतम 02 इवेंट में सहभागिता कर सकते हैं। 2. **खेल किट** (स्पोर्ट्स वियर एवं स्पाइक्स/शूज़) पहनना अनिवार्य होगा। 3. यदि किसी दौड़ या फील्ड इवेंट में **टाई** होता है, तो निर्णय **राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ** के नियमों के अनुसार लिया जाएगा। 4. सभी नियम एवं विनियम **राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ** के अनुसार सख्ती से लागू होंगे। 5. **स्पर्धाएं** ट्रैक एवं फील्ड दोनों श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं: • **ट्रैक इवेंट्स**: 100m, 200m, 400m • **फील्ड इवेंट्स**: लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक 6. **फॉल्स स्टार्ट (गलत शुरुआत) पर अयोग्यता के नियम** राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अनुसार लागू होंगे। 7. **वज़न एवं उपकरण (गोला, भाला) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।**
फुटबॉल प्रतियोगिता	1. प्रत्येक टीम में अधिकतम **12 खिलाड़ी** सम्मिलित हो सकते हैं। 2. **खेल किट** (जर्सी, शॉर्ट्स, स्टॉकिंग्स, शिन गार्ड्स, फुटबॉल शूज़) पहनना अनिवार्य होगा। 3. यदि मैच **ड्रॉ** रहता है, तो विजेता का निर्णय **पेनल्टी शूटआउट** के माध्यम से किया जाएगा। 4. प्रतियोगिता **नॉकआउट प्रारूप** में आयोजित की जाएगी। 5. मैच संबंधी अन्य सभी नियम **राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ** के अनुसार लागू होंगे।
क्रिकेट प्रतियोगिता	1. प्रत्येक टीम में अधिकतम 12 और न्यूनतम 11 खिलाड़ी। 2. खेल किट (जर्सी, पेंट, हेलमेट, पैड्स, ग्लव्स, बूट्स) अनिवार्य। 3. मैच प्रारूप: 7-ओवर या निर्धारित समय मैच। 4. टाई की स्थिति में सुपर ओवर या प्रतियोगिता समिति का निर्णय। 5. नियम: BCCI / राष्ट्रीय क्रिकेट नियम सख्ती से लागू।
कबड्डी प्रतियोगिता	1. प्रत्येक टीम में अधिकतम**12 खिलाड़ी** सम्मिलित हो सकते हैं। 2. **खेल किट** पहनना अनिवार्य होगा। 3. यदि मैच **टाई** रहता है, तो प्रत्येक टीम को**5 रेड्स** करने का अवसर दिया जाएगा। 4. सभी नियम एवं विनियम **ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन** के अनुसार होंगे। 5. मैच की कुल समयावधि **15 मिनट** होगी, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा, तथा **5 मिनट का मध्यांतर** दिया जाएगा। 6. मैच से संबंधित अन्य सभी नियम **राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ** के अनुसार सख्ती से लागू होंगे।
योग प्रतियोगिता	1. **योग पोशाक** (योग वेशभूषा) पहनना अनिवार्य होगा। 2. प्रतिभागियों का मूल्यांकन**राष्ट्रीय योग महासंघ** के नियमों के अनुसार किया जाएगा। 3. सभी नियम एवं विनियम**राष्ट्रीय योग महासंघ** के अनुसार सख्ती से लागू होंगे। 4. **प्रतियोगिता प्रारूप:**

कादर नवाज़
25/01/26

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

	• प्रतिभागियों को **पूर्व निर्धारित योगासन श्रृंखला** का प्रदर्शन करना होगा। • समयसीमा एवं आसनों की शुद्धता के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। 5. **टाई की स्थिति में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**
टेबल टेनिस प्रतियोगिता	1. प्रत्येक श्रेणी से अधिकतम 02 खिलाड़ी। 2. खेल किट (स्पोर्ट्स वियर, नॉन-मार्किंग शूज़) अनिवार्य। 3. प्रारंभिक राउंड और सेमीफाइनल/फाइनल – बेस्ट ऑफ 5 गेम्स। 4. टाई की स्थिति में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम। 5. राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के नियमानुसार होंगे।
रेसलिंग (कुश्ती) प्रतियोगिता	1. प्रत्येक भार वर्ग में अधिकतम 02 खिलाड़ी। 2. खेल किट (सिंगलेट्स, जूते) अनिवार्य। 3. मैच प्रारूप: पूल सिस्टम / नॉकआउट। 4. निर्णय राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अनुसार। 5. टाई की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निर्णायक मंडल को होगा।
मल्लखंब प्रतियोगिता	1. व्यक्तिगत प्रदर्शन अनिवार्य। 2. सुरक्षा उपकरण और खेल किट पहनना अनिवार्य। 3. मूल्यांकन तकनीक, संतुलन और प्रस्तुति के आधार पर। 4. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी।
चेस प्रतियोगिता	1. प्रत्येक विभाग/केंद्र से खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसकी संख्या आयोजन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। 2. प्रतियोगिता नॉकआउट / लीग कम नॉकआउट प्रारूप में आयोजित की जाएगी, जिसका निर्णय आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। 3. प्रत्येक खिलाड़ी को मैच के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 4. निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से आने वाले खिलाड़ी को वॉकओवर दिया जा सकता है। 5. प्रत्येक मैच के लिए समय नियंत्रण (Time Control) आयोजन समिति/रेफरी द्वारा पूर्व में घोषित किया जाएगा। 6. खेल से संबंधित सभी नियम एवं विनियम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) / FIDE के नियमों के अनुसार सख्ती से लागू होंगे। 7. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में रेफरी/निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
***(नोट:** उपरोक्त नियमों का पालन करना सभी टीमों के लिए अनिवार्य होगा।)*	

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

क़ादर नवाज़
(कुलसचिव)
25/01/26

प्रति (ई–मेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित

1. कुलपति कार्यालय, 2. कुलानुशासक कार्यालय, 3. कुलसचिव कार्यालय, 4. अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा समिति, 5. सचिव, शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा समिति, 6. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी, 7. वित्त अधिकारी, 8. जनसंपर्क अधिकारी (प्रचार-प्रसार एवं कार्यक्रम प्रतिवेदन हेतु) 9. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्यवाही हेतु), 10. स्वास्थ्य चिकित्सालय (आवश्यक कार्यवाही हेतु), 11. प्रभारी लीला विभाग (वेबसाइड पर अपलोड करने करने हेतु), 12. संबंधित पत्रावली